

एम./एस. लार्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड

बनाम

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, पुणे-॥

2 मई, 2007

[एस. बी. सिन्हा और मार्कडेय काटजू, जे.जे.,]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 11 ए-सीमा की विस्तारित अवधि-

तथ्यों को छिपाने के आधार पर द्वितीय कारण दर्शाओ नोटिस की प्रार्थना - जब उत्पाद शुल्क की मांग का मूल/प्रथम कारण दर्शाओ नोटिस वापस ले लिया गया, जिसमें तथ्यों को छिपाने का आरोप नहीं लगाया गया था- अभिनिर्धारित किया गया: बढ़ी हुई परिसीमा अवधि को बाद में लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि निर्धारिती/करदाता द्वारा कथित रूप से छिपाये गए तथ्यों के बारे में राजस्व/प्राधिकारी को पता था-साथ ही निर्धारिती की प्रार्थना सद्भाविक थी।

अपीलार्थी ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए पुलों के निर्माण की संविदा की थी। अपीलार्थी पी.एस.सी. गर्डरों का निर्माण करता था और उनका रेलवे के पुलों के निर्माण के स्थल पर परिवहन करता था। अपीलार्थी

ने स्वयं को केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं कर रखा था। अपीलार्थी को कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि वह विनिर्माण/उत्पादन की गतिविधि चला रहा था, लेकिन उसने उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया था। प्राधिकारी द्वारा उक्त नोटिस को वापस ले लिया गया था। प्राधिकारी द्वारा एक और कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया गया और अपीलार्थी पर तथ्यों के छिपाने का आरोप लगाते हुए परिसीमा अवधि बढ़ा दी गई। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ने अभिनिर्धारित किया कि पी.एस.सी. गर्डरों का निर्माण पुलों के निर्माण की परिधि में आयेगा और वह अचल संपत्ति नहीं होगी; और बढ़ी हुई परिसीमा अवधि को उचित रूप से लागू किया गया है, क्योंकि अपीलार्थी ने विभाग से इस तथ्य को छिपा दिया था कि माल उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं थी। याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की जिसे खारिज कर दिया गया। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई।

अपील को अनुमति देते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1. यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें तथ्यों को छिपाने का तत्व परिसीमा की विस्तारित अवधि तक लागू हो। यह ऐसा मामला भी नहीं है जिसमें अपीलार्थी ने सद्भावनापूर्वक प्रार्थना नहीं की हो। इसके अलावा यह ऐसा मामला भी नहीं है जिसमें अधिकरण और परिणामतः यह न्यायालय

इस निष्कर्ष पर पहुंच सके कि अपीलार्थी ने तथ्यों को छिपाने का सहारा लिया था।

[पैरा 13] [1146-ई, एफ]

1.2. छल और छिपाव के कृत्य का विशेषतः अभिवचन होना होगा। तथ्यों को छिपाने के संबंध में आरोप स्पष्ट और सुव्यक्त होने चाहिए ताकि नोटिस का प्रभावी ढंग से जवाब दिया जा सके। यह राजस्व का मामला नहीं था कि अपीलार्थी की गतिविधियों के बारे में उसे जानकारी नहीं थी।

[पैरा 14] [1146 - जी]

1.3. निःसंदेह, जब पहला कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया गया था, परिसीमा की विस्तारित अवधि का सहारा नहीं लिया गया था। एक नोटिस सामान्यतया छह माह की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए था (जैसा विधि में था) जो कि अभिनिर्धारित परिसीमा की अवधि है। लेकिन अपवादिक मामलों में उक्त अवधि को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। जब मूल नोटिस में अपीलार्थी पर तथ्यों के छिपाने के आरोप नहीं लगाये गए थे, तब ऐसे आरोप बाद में नहीं लगाये जा सकते, जो पहले से उनके ज्ञान में थे।

[पैरा 15] [1146 - जी; 1147-ए]

1.4. परिसीमा की अवधि के विस्तार के सिविल एवं फौजदारी दोनों तरह के परिणाम होते हैं, इसलिए तथ्य कारण दर्शाओ नोटिस में विशेषतः अभिकथित होने चाहिए, जिनके अभाव में न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जायेगा कि मामला ऐसा नहीं था, जिसमें परिसीमा की विस्तारित अवधि को लागू किया जा सके।

[पैरा 19] [1149 - बी, सी]

1.5. अपीलार्थी ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में सद्भावनापूर्वक एक स्पष्ट मुद्दा उठाया, जिसे अस्वीकार नहीं किया गया था। वास्तव में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 ए के तहत जुर्माना लगाने पर विचार करते हुए आयुक्त ने अपीलार्थी पर कोई जुर्माना लगाने से इस आधार पर इंकार कर दिया कि वह किसी भी दुर्भावनापूर्ण कार्य का दोषी नहीं था। इसलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए विवादित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे निरस्त किया जाता है। हस्तगत मामले में परिसीमा अवधि का विस्तार किया जाना न्यायोचित नहीं था।

[पैरा 20] [1149 - डी, ई]

पी एण्ड बी फार्मास्युटिकल्स (पी) लिमिटेड बनाम कलेक्टर/संग्राहक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क [2003] 153 ई.एल.टी. 14 एस.सी.; निजामशुगर फैक्ट्री बनाम कलेक्टर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ए.पी. [2006] 197 ई.एल.टी.

465 एस.सी.; ई.सी.ई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क [2004] 13 एस.सी.सी. 719 = [2004] 164 ई.एल.टी. 236; आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, चंडीगढ़ बनाम एम/एस पंजाब लैमिनेट्स प्रा. लिमिटेड, [2006] 7 एस.सी.सी. 431, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 2990/2006

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण, पश्चिम क्षेत्रीय पीठ, मुंबई द्वारा अपील सं. ई/3634/98 में पारित अंतिम आदेश सं. ए/329/डब्ल्यू.जेड.बी./06/सी-III/ईबी दिनांकित 16.02.2006 से।

अपीलार्थी की ओर से- एन. वेंकटरमन, एस. नंदा कुमार, सतीश कुमार, मायिल सामी, आनंदसेल्वम, रेनुगा देवी और वी. एन. रघुपति।

प्रत्यर्थी की ओर से- गोपाल सुब्रमण्यम, एएसजी, आशीष जैन एवं बी. के. प्रसाद।

न्यायालय का निर्णय एस.बी. सिन्हा, जे. द्वारा दिया गया।

1. मुंबई में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (सी.ई.एस.टी.ए.टी.) द्वारा अपील संख्या ई./3634/98 में पारित आदेश दिनांकित 16.02.2006 न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत है। अपीलार्थी कंपनी अधिनियम के तहत निगमित एक कंपनी है। जिसने मैसर्स कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('कोंकण रेलवे', संक्षेप में) से पुलों के निर्माण की

संविदा की थी, जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अपीलार्थी ने पूर्व दबाव कंक्रीट गर्डर (पी.एस.सी. गर्डर) का निर्माण किया। वह उन्हें रेलवे के पुलों के निर्माण स्थल पर ले जाता था। अपीलार्थी ने स्वयं को केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्राधिकारी के साथ पंजीकृत नहीं करवाया था।

2. यह आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थीमार्च, 1993 और दिसंबर, 1994 की अवधि में, यद्यपि वह 75 पी.एस.सी. गर्डरों के निर्माण का उपक्रम करके विनिर्माण गतिविधि में शामिल था, लेकिन उसने कोई उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया।

3. अपीलार्थी को एक कारण दर्शाओ नोटिस यह निर्देशित करते हुए दिया गया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 49 (1) के परंतुक सपठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम, 1944 की धारा 11ए के संबंध में क्यों ना केंद्रीय उत्पाद शुल्क की 32,35,575/- रुपये की राशि की मांग व वसूली उनसे की जाए, उन पर जुर्माना अधिरोपित किया जाए और उनका उपक्रम मय मशीनरी व निर्मित माल जब्त किया जाए। अपीलार्थी द्वारा कारण दर्शित किया गया है कि उसके द्वारा किसी प्रकार का उत्पाद शुल्क भुगतान योग्य नहीं है। उक्त नोटिस यह लिखते हुए प्रत्याहृत किया गया:

“उक्त कारण दर्शाओ नोटिस सक्षम प्राधिकारी या उचित अधिकारी से स्वीकृत लिये बिना जारी किया गया था। एतद्वारा

कारण दर्शाओ नोटिस दिनांकित 27.01.1994 प्रत्याहृत किया जाता है।“

उक्त कारण दर्शाओ नोटिस का प्रत्याहरण बिना किसी पूर्वाग्रह के किया गया, जिसमें एम./एस. कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रत्नागिरी (उत्तर), लांजेकर परिसर, फांसी बाग, उद्यमनगर, रत्नागिरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधि या तत्समय प्रवृत्त विधि के अंतर्गत एक नया कारण दर्शाओ नोटिस जारी करना है।

4. लंबे समय के बाद 01.05.1996 को, उसी परिसर पर मार्च, 1993 व दिसंबर, 1944 की अवधि के लिए एक अन्य कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी द्वारा तथ्यों को छिपाये जाने का आरोप लगाते हुए परिसीमा की अवधि का विस्तार किया गया। अपीलार्थी द्वारा परस्पर एक कारण दर्शाओ नोटिस फाइल किया गया, जिसमें अधिनियम की धारा 11 ए के परंतुक के संबंध में परिसीमा की अवधि के विस्तार को प्रश्नगत किया गया। आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, पूणे ने अपने निर्णय में निम्न चार विवादक बनाये:

(i) क्या विनिर्माण की प्रक्रिया शामिल है?

(ii) क्या गर्डरों को अचल संपत्ति के रूप में माना जा सकता है या नहीं?

(iii) क्या गर्डरों को विपणन योग्य माना जा सकता है या नहीं और क्या अधिसूचना संख्या 59/90 के तहत छूट बढ़ाई जा सकती है?

(iv) क्या नोटिस प्राप्तकर्ताओं के द्वारा तथ्यों का छिपाव किया गया, जिससे परिसीमा अवधि विस्तारित की गई?

5. यह अभिनिर्धारित किया गया कि पुलों के निर्माण में कई चीजें शामिल हैं, जिनमें नींव और सुपर स्ट्रक्चर, पी.एस.सी. गर्डरों का निर्माण भी इसकी परिधि में आयेगा; और अचल संपत्ति नहीं होगी। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि परिसीमा की लंबी अवधि को उचित रूप से लागू किया गया है क्योंकि अपीलार्थी ने विभाग से तथ्य को छिपाया था कि प्रश्नगत माल उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं थीं। यह राय दी गई कि -

“12. के.आर.सी.एल. पर नियम 209 ए के अंतर्गत जुर्माना लगाये जाने के संबंध में, क्योंकि विनिर्माण गतिविधि मैसर्स एल. एण्ड टी.द्वारा की गई और इस मामले में उनके द्वारा दुर्भावना से कार्य किये जाने का कोई साक्ष्य नहीं है, उनके द्वारा संविदा करने वाले पक्षकार को केंद्रीय कर आदि के भुगतानके बाबत सचेत किया गया था, जैसा कि संविदा के खंड 47 में है, मैं उन पर जुर्माना अधिरोपित करने से विरत हूं।

13. जहां तक 75 पी.एस.सी. गार्डस की जब्ती का संबंध है, हालांकि मैसर्स एल. एण्ड टी. को लिखित रूप में एक नोटिस

दिया गया था, जिसमें उन आधारों की जानकारी दी गई थी, जिन पर सामान/माल जब्त करने का प्रस्ताव है और उन्हें उक्त प्रस्तावित जब्ती के विरुद्ध उचित समय के भीतर प्रतिनिधित्व करने और सुनवाई का उचित अवसर भी दिया गया था। मामले में उन्होंने केवल इतना कहा कि ये स्थायी रूप से धरती में समा जाने के कारण अचल संपत्ति के रूप में जब्त होने के कारण उत्तरदायी नहीं थे। जैसा कि पहले से ही माना जा रहा है कि धरती पर मौजूद गर्डरों के अस्तित्व में आने के बाद व धरती से जुड़े नहीं थे, इसलिए इनको अचल संपत्ति नहीं माना जा सकता और इसलिए मैं इन 75 पी.एस.सी. गर्डस को सी.आई.आर., 1944 के नियम 226 के साथ पठित नियम 173क्यू के तहत जब्ती के लिए उत्तरदायी मानता हूं। 226 सी.ई.आर., 1944।“

6. अपीलार्थी द्वारा इसके विरुद्ध की गई अपील अधिकरण द्वारा खारिज कर दी गई थी, जैसा कि देखा गया था।

7. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वेंकटरमण ने इस अपील के समर्थन में दो तर्क उठाए-

(i) प्रथम नोटिस वापस ले लिया गया था, जिसमें छिपाव का कोई आरोप नहीं लगाया गया था, वह आरोपद्वितीय नोटिस दिनांक 01.05.1996 में नहीं लगाया जा सकता था।

(ii) किसी भी स्थिति में यह प्रश्न कि क्या अपीलकर्ता की गतिविधियों पर उत्पाद शुल्क लगेगा या नहीं, एशियन टेक लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क, पूणे-II, 2005 189 ई.एल.टी. 420 मामले में अधिकरण की एक बड़ी बेंच द्वारा पहली बार निर्णय लिया गया है। यह ऐसा मामला नहीं था, जहां सीमा की वास्तविक अवधि को लागू किया जाना चाहिए था।

8. दूसरी ओर भारत संघ की ओर से विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री गोपाल सुब्रमण्यम उपस्थित हुए और कहा कि-

(i) दिनांक 27.01.1994 के नोटिस के निर्णय के लिए, उसमें लगाये गए आरोपों को समग्र रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाना चाहिए कि छिपाव का मामला बनाया गया था या नहीं।

(ii) पहला नोटिस वापस लेने से विभाग दूसरा नोटिस जारी करने से वंचित नहीं होगा, क्योंकि यह एक ऐसे अधिकारी द्वारा जारी किया गया था, जिसके पास इसके संबंध में कोई अधिकार नहीं था।

(iii) चूंकि अपीलकर्ता उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट की मांग कर रहा था, इसलिए उसकी ओर से तथ्य को छिपाने का अनुमान लगाया जाना चाहिए, क्योंकि उसने खुद को उत्पाद शुल्क के भुगतान के उद्देश्य से पंजीकृत नहीं करवाया था।

9. क्या अपीलकर्ता द्वारा की गई गतिविधियाँ विनिर्माण के दायरे में आयेगी या नहीं, यह एक बहस का मुद्दा था। हमारा ध्यान अधिकरण के कई निर्णयों की ओर आकर्षित किया गया है, अर्थात् एशियन टेक लिमिटेड (सुपरा), राजेश्वरी एंटरप्राइजेज (कंस्ट्रक्शंस) प्राइवेट लिमिटेड बनाम सी.सी.ई., मद्रुरै, (2005) 180 ई.एल.टी. 66 (ट्राई, - चेन्नई), टेको बनाम सी.सी.ई., मद्रुरै, (2002) 149 ई.एल.टी. 133 (ट्राई-चेन्नई); दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम बनाम सी. सी. ई., (1999) 114 ई.एल.टी. 421 (त्रि. - दिल्ली); एम. रामचंद्र राव बनाम सी.सी.ई., गुंटूर, (2005) 186 ई.एल.टी. 353. - बैंगलोर); रघुनाथ रामचंद्र शानबाग बनाम सी.सी.ई., मुंबई टप्पू, (2004) 178 ई. एल.टी. 488., (ट्राई - मुंबई); और गैमन इंडिया लिमिटेड बनाम सी.सी.ई., गोवा, (2002) 146 ई.एल.टी. 173, जिनमें तत्कालीन समय में इस क्षेत्र में अभिनिर्धारित किया गया था।

10. समान मामलों से जुड़े प्रश्न अलग-अलग समय पर अधिकरण के समक्ष विचार के लिए आये। उन्हें अलग-अलग बेंचों ने अलग-अलग तरीके से जवाब दिया।

11. मैसर्स बी.ई. बिलिमोरिया एण्ड कंपनी प्रा. लिमिटेड के मामले में अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 25.4.2003 में राय दी कि दूसरों द्वारा निर्मित समान वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अधिकरण की वही बेंच रघुनाथ रामचंद्र शानभाग (सुपरा)

मामले में अपने आदेश दिनांकित 10.5.2004 में इसी तरह के निष्कर्ष पर पहुंची थी।

12. 1993-94 की विचाराधीन अवधि के दौरान संबंधित मुद्दे पर कोई प्रत्यक्ष निर्णय उपलब्ध नहीं था कि अधिकरण के अलग-अलग बेंचों द्वारा अलग-अलग मामलों पर अपने फैसले अलग-अलग सुनाये। बिलिमोरिया (सुपरा) के मामले में यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि पी.एस.सी. गर्डर के निर्माण पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

13. बिलिमोरिया (सुपरा) की शुद्धता पर अधिकरण की एक अन्य बेंच द्वारा सवाल उठाया था और मामले को एक बड़ी बेंच को भेजा गया था। एशियन टेक्स लिमिटेड (सुपरा) में बड़ी बेंच ने इस न्यायालय के बड़ी संख्या में निर्णयों पर भरोसा करते हुए या उनके आधारों पर राय दी कि उत्पाद शुल्क देय था और कार्य अनुबंध के सिद्धांत इस प्रकृति के मामले में लागू नहीं होंगे। इसलिए, हम विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क को स्वीकार करते हैं कि यह ऐसा मामला नहीं था जहां छिपाव का तत्व परिसीमा की विस्तारित अवधि तक लागू हो। यह ऐसा मामला भी नहीं है जहां अपीलकर्ता ने प्रमाणिकता से दलील नहीं दी। इसके अलावा यह ऐसा मामला नहीं है, जहां अधिकरण और परिणामस्वरूप यह न्यायालय इस

निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि अपीलकर्ता ने महत्वपूर्ण तथ्यों का छिपाव या लोप करके सत्यता के दुर्यपदेशन का सहारा लिया या नहीं।

14. धोखाधड़ी या छिपाव के कृत्य, जो सुस्थापित हैं, का विशेष रूप से अभिवचन किया जाना चाहिए। तथ्यों को छिपाने के संबंध में आरोप स्पष्ट और सुव्यक्त होना चाहिए ताकि नोटिस प्राप्तकर्ता प्रभावी ढंग से जवाब दे सके। यह राजस्व का मामला नहीं था कि अपीलकर्ता की गतिविधियों की जानकारी उसे नहीं थी।

15. मान जाता है कि जब पहला कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया गया था, तो परिसीमा की विस्तारित अवधि का सहारा नहीं लिया गया था। एक नोटिस आम तौर पर छह महीने की अवधि के भीतर जारी किया जाना चाहिए (जैसा कि उस समय कानून था) यानी निर्धारित सीमा अवधि के भीतर, लेकिन केवल असाधारण मामलों में उक्त अवधि पांच साल तक हो सकती है। जबकि मूल नोटिस में ऐसा कोई आरोप बताया नहीं गया था, हमारी राय यह है कि इसे बाद में नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि अपीलार्थी द्वारा कथित तौर पर छिपाए गए तथ्य प्राधिकारी को ज्ञात थे।

16. पी. एण्ड बी. फार्मास्युटिकल्स (पी) लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, (2003) 153 ई. एल. टी. 14 एस. सी., इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

“19. तथापि श्री जयदीप गुप्ता का कहना है कि अधिकरण ने यह स्वीकार नहीं किया कि यहां निर्धारिती के पक्ष में प्रतीक चिह्न सौंपा गया था। हम विद्वान अधिवक्ता के तर्क स्वीकार करने में असमर्थ हैं। आदेश का सार, “निर्धारिती ने कुछ दस्तावेज पेश किये, जैसे कि पंजीकरण फॉर्म, ट्रेडमार्क प्राधिकारी द्वारा सौंपा गया व्यापार चिह्न, लेकिन तथ्य यह है कि एम/एस पी एण्ड डी लेबोरेट्रीज द्वारा निर्मित सामान की जब्ती के भौतिक सबूत थे, जिस पर समान चिह्न लगा था। अपीलकर्ता को ट्रेडमार्क के कथित हस्तांतरण से पता चलता है कि अधिकरण ने स्वीकार किया है कि एक असाइंमेंट दिया गया है, लेकिन अधिसूचना के तहत छूट की अनुपयुक्तता के मामले से निपटने के लिए इस आधार पर आगे बढ़े कि प्रतीक चिह्न का उपयोग मैसर्स पी.एण्ड बी. लेबोरेट्रीज द्वारा भी किया जा रहा था। हमने पहले ही उपर संकेत दिये हैं कि अधिसूचना के पैरा 7 के आधार पर छूट से इंकार करने के प्रयोजन के लिए तीसरे पक्ष द्वारा निर्माता के प्रतीक चिह्न का उपयोग गैर है। मामले के इस दृष्टिकोण में, हम निर्धारिती को छूट से इंकार करने वाले अधिकरण के आदेश को बरकरार रखने में असमर्थ हैं।

20. किसी भी घटना में यह आधार है कि निर्धारिती ने इस तथ्य को छुपाया है कि एम/एस पी एण्ड बी लैबोरेटरीज अधिसूचना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतीक चिह्न का भी उपयोग कर रही थी, जो अधिनियम की धारा 11ए के प्रावधान को लागू करने का वैध कारण नहीं हो सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या कोई अन्य व्यक्ति भी उसके प्रतीक चिह्न का उपयोग कर रहा है या नहीं, प्रतीक चिह्न के मालिक पर यह बाध्यता नहीं है कि वह लगातार पूछताछ करे और प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रयोजनों के लिए तथ्य को छुपाने से संभावित आरोप को रोकने के लिए अधिकारियों को इसका खुलासा करे।“

17. एक बार फिर निजाम शुगर फैक्ट्री बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर, ए. पी., (2006) 197 ई. एल. टी. 465 एस. सी. मामले में भी पी. एण्ड बी. फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (सुपरा) में दिए गए अनुपात को यह कहते हुए दोहराया गया है कि-

“अपीलकर्ता के खिलाफ तथ्यों को दबाने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। जब पहला एस सी एन जारी किया गया था तो सभी प्रासंगिक तथ्य अधिकारियों की जानकारी में थे। बाद में दूसरा व तीसरा कारण दर्शाओ नोटिस जारी करते समय समान

तथ्यों को निर्धारिती की ओर से छुपाया नहीं माना जा सकता। क्योंकि ये तथ्य पहले से ही अधिकारियों की जानकारी में थे। हम उपरोक्त निर्णयों में दिये गए दृष्टिकोण से सहमत हैं और सम्मानपूर्वक उसका पालन करते हुए मानते हैं कि निर्धारिती/अपीलकर्ता की ओर से तथ्यों का कोई छिपाव नहीं किया गया था।”

18. उक्त निर्णय में इस न्यायालय ने ईसीई इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज 2004 13 एस. सी. सी. 719 = (2004) 164 ई. एल. टी. 236, में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के पहले के फैसले का पालन किया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया।

“6. अपीलकर्ता को 16.07.1987 को कलेक्टर द्वारा दूसरा एस. सी. एन. दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता 19.3.1983 के समझौते के अनुसार दूसरी इकाई को कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कर रहा था। उन्होंने आवश्यक लाइसेंस नहीं लिया था। नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था और ना ही कर्तव्य दायित्व का निर्वहन किया गया था। उक्त एस.सी.एन. ने मूल्यांकन वर्ष 1982-83 से 1986-87 की अवधि को कवर किया था। अपीलकर्ता ने दूसरे एस.सी.एन. का जवाब दिया और दलील दी कि विचाराधीन

एस.सी.एन. व्यवहारिक रूप से आरोपों की पुनरावृत्ति थी, जो कि दिनांक 28.02.1984 में निहित था और अप्रैल, 1982 से सितंबर, 1982 की अवधि के लिए विभाग ने दो अलग-अलग एस.सी.एन. के तहत मांगे उठायी थी। यह बताया गया था कि अशुद्ध रूप में कार्बन डाईऑक्साईड बिक्री के योग्य नहीं था, क्योंकि इसमें घातक अनुपात कार्बन मोनोऑक्साईड भी शामिल था। यह तर्क दिया गया कि इनका वास्तविक विश्वास था कि चूंकि ऐसी अशुद्ध कार्बन डाईऑक्साईड शुल्क के भुगतान की योग्य नहीं थी, इसलिए उन्हें वर्गीकरण सूची या मूल्य सूची दाखिल करने या लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं थी। यह प्रस्तुत किया गया कि धारा 11 ए (1) के तहत परिसीमा की विस्तारित अवधि का सहारा लेना मामले की परिस्थितियों में उचित नहीं था। अपीलकर्ता को उन्हीं आरोपों पर दिनांक 16.03.1988 से 27.06.1988 की अवधि के लिए तीसरा एस.सी.एन. दिनांक 12.09.1988 को दिया गया था। निर्धारिती ने अपना उत्तर पहले के उत्तरों जैसे एस.सी.एन. दिनांक 16.07.1987 के अनुसार ही दाखिल किया। निर्णायक प्राधिकारी ने अपीलकर्ता के तर्क को स्वीकार नहीं किया और एससीएन में उठाई गई मांगों की पुष्टि की गई।

8. वर्गीकरण और बेचने की योग्यता से संबंधित प्रश्न पर जाये बिना और उसे खुला छोड़े बिना हम इसका निपटारा केवल परिसीमा के बिंदु पर करना चाहते हैं। यह न्यायालय पी एण्ड बी फार्माश्यूटीकल्स (पी) लि. बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साईज, जिसका विवरण 2003, 3 एस. सी. सी. 599 = (2003) 153 ई. एल. टी. 14 (एस. सी.) के मामले में यह विचार किया गया कि ऐसे मामलों में जिसमें तथ्यों के कुछ सेट पर पहले की अवधि के कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया गया है, फिर तथ्यों के एक ही सेट पर और उसी या समान तथ्यों के आधारों पर एक और एस.सी.एन., जो निर्धारिती द्वारा तथ्यों को दबाने की दलील पर सीमा की विस्तारित अवधि का आह्वान करता है, जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि विभाग को इस तथ्य की जानकारी पहले से ही है।

19. इसके अलावा, सीमा की अवधि के विस्तार में नागरिक और आपराधिक दोनों परिणाम शामिल है और इसलिए कारण दर्शाओ नोटिस में विशेष रूप से बताया जाना चाहिए, जिसके अभाव में न्यायालय यह निष्कर्ष निकालने का हकदार होगा कि मामला एकसा नहीं है, जहां परिसीमा की विस्तारित अवधि को लागू किया जा सकता है।

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चंडीगढ़ बनाम एम/एस पंजाब लैमिनेट्स प्रा. लिमिटेड, 2006, 7 एस.सी.सी. 431)

20. इस मामले के दूसरे पहलू को भी अपीलकर्ता से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि कोंकण रेलवे ने भी प्रामाणिकता की एक निश्चित दलील दी थी। ऐसी दलील खारिज नहीं की गई थी। दरअसल, अधिनियम की धारा 11ए के तहत जुर्माना लगाने पर विचार करते समय, आयुक्त ने अपीलकर्ता पर इस आधार पर कोई जुर्माना लगाने से इंकार कर दिया है कि दुर्भावनापूर्ण किसी भी कार्य का दोषी नहीं था। इसलिए, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारा मानना है कि विवादित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है। तदनुसार इसे अपास्त किया जाता है। हमारा मानना है कि मौजूदा मामले में परिसीमा की विस्तारित अवधि को लागू करने के लिए राजस्व उचित नहीं था।

21. उपरोक्त वर्णित कारणों से आपेक्षित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसे तदनुसार अपास्त किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया।

अपील स्वीकार।

एन. जे.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विकास कुमार अग्रवत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।